

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो  
हुकम की तारीख  
में जारी है

28.3.23

जमाप पत्रा उपस्थित पीठापीन अधिकारी राजकीय  
कार्य से बाहर हैं।  
अतः पत्रावली दिनांक 28.4.23 को पेश हो।  
~  
रीडर  
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

2.5.23

पत्रावली मंहगाई राहत कॅम्प एवं प्रशासन गाँवों  
के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत पीठास  
में पेश हुई। विपक्षीयों के लम्बन बाद तामिल  
होकर प्राप्त हुए जिसे शापठ किये गये।  
विपक्षीयों अनुपस्थित। प्रार्थी का शापठ स्वीकृत  
किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर  
शापठ किया गया। पत्रावली फंसल शुमार  
होकर नम्बर से कम हो।

हुकमीचन्द रोहलीनिया

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 195/22 प्रा.पत्र.

1- श्री नरकत उली डा.श्री आंभगदचुर रगरिज मिवासी. माण्डल तहसील. माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्रीमती जुवेदारवानुन प.श्री मी.हगद हर्नाफ मुसलमान मिवासी. माण्डल तहसील (कोरा)  
(मिलिकित प्रा.पत्र रा.पत्र.)  
-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 02-05-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....माण्डल.....पटवार हल्का.....माण्डल.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 2129/1.....कुल किता.....रकबा.....0.5059.....हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20-09-22.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....माण्डल.....पटवार हल्का.....माण्डल.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 2129/1.....कुल किता.....रकबा.....0.5059.....हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....माण्डल.....को.....रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति का बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023